

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 17/2021 – Central Tax

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely: —

In the said notification, in the second proviso, after the word and figure “April, 2021”, the words and figure “and May, 2021” shall be inserted.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020 and was last amended by notification No. 12/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 308(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 18/2021-केन्द्रीय कर

सा. का. नि. 362 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

(i) शब्दों, अक्षरों और अंकों “जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं”, के स्थान पर, शब्दों “जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, “कर अवधि” शब्दों, के स्थान पर, “माह/ तिमाही” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
“4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021